

संविधान दिवस को रिपील लॉ डे के तौर पर मनाने की मांग

नई दिल्ली। थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी (सीसीएस) द्वारा संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर 'अपील फॉर रिपील लॉ डे' नामक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड के अप्रासंगिक हो चुके बेकार कानूनों की संग्रह पुस्तिका 'रिपील लॉ कम्पेंडियम' का विमोचन किया गया। कम्पेंडियम को सिम्बायसिस लॉ स्कूल, नोएडा, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़ रिसर्च, हैदराबाद, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर के संयुक्त तत्वावधान में तैयार किया गया है।

सोमवार को कांस्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में रिपील लॉ कम्पेंडियम का विमोचन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बैनर्जी, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अरुंधति काटजू, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पूर्व सचिव पी.के. मल्होत्रा, सेंटर फॉर इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी की प्रमुख डा. नीति शिखा, वरिष्ठ पत्रकार मनीष छिब्र, अधिवक्ता व केडेन बॉरिश ग्लोबल के फाउंडर हेमंत बत्रा ने किया। इस दौरान 'स्टेच्युटरी क्लीन अप: इंस्टिट्यूशनलाइज़ेशन ऑफ रिपील लॉ डे' विषय पर संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार से संविधान दिवस को रिपील लॉ डे के तौर पर मनाने की मांग की गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्ष में एक दिन ऐसा होना जरूरी है जिस दिन कानून निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े सभी पक्ष एक साथ कानून के समापन के लिए विशेष रूप से कार्य करें।

फोटो कैप्शन:

- 1) संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित उत्तर पूर्वी राज्यों के अप्रासंगिक और बेकार कानूनों की संग्रह पुस्तिका रिपील लॉ कम्पेंडियम के विमोचन और संगोष्ठी के दौरान विचार व्यक्त करते मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के पूर्व सचिव पी.के. मल्होत्रा
- 2) संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित उत्तर पूर्वी राज्यों के अप्रासंगिक और बेकार कानूनों की संग्रह पुस्तिका रिपील लॉ कम्पेंडियम के विमोचन और संगोष्ठी के दौरान विचार व्यक्त करती सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता अरुंधति काटजू

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. .

अविनाश चंद्र, avinash@ccs.in / 9999882477